

जिसमें प्रत्येक का 1/8 हिस्सा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण का है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त हिन्दू खानदान की उपरोक्त खसरा न की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आगादा है।

प्रार्थी वकील को सुना गया तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया प्रकरण की परिस्थितियों को दौरान हुए आगागी सुनवाई दिनांक तक विप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है की उपरोक्त 821/306 रकबा 18 बीघा 01 विस्वा किस्म बरानी दोगम, खसरा संख्या 822/306 रकबा 03 बीघा किस्म बरानी दोगम, खसरा संख्या 829/415 रकबा 47 बीघा 06 विस्वा जुमल्ले खसरा 3 कुल रकबा 68 बीघा 07 विस्वा भूमि में आई हुई है। उक्त खसरा न की भूमि अविभाजित है तथा संयुक्त हिन्दू खानदान की है जिसमें प्रत्येक .. प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलअंदाजी, अवरोध, हस्तक्षेप बेचान हस्तान्तरण एवं रहन नहीं रखे। मौके की यथारिथति बनाये रखे। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण की तलबी/जबाब हेतु दिनांक 22.09.2020


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

22-9-20

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24.11.20 को पेश हो।

(सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5/10/20



मोगाराय



पत्रावली प्रार्थी के प्राप्तिना पत्र पेश होने पर तत्पश्चात् की गई। वादीगण का वादपत्र लोक अदालत की भाषणा से जरिह विद्रोह स्वारिज किया गया तथा प्रार्थी का प्राप्तिना पत्र स्वार्ड निवेद्याज्ञा को आगे चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी

अधिकारी
की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

का प्रार्थना पत्र जरिये विशेष
शर्तों के बिना जाला है।
पत्रावली जेम्स सुभार केकर
द्वारा दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा